

फर्द अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

पक्षी :- लालसिंह

सम मुकदमा - 128 भूरा.अधि.

विपक्षी :- भुरा

पत्रावली संख्या : 39/23

सक

कार्यवाही विवरण

दस्तावेज
वाही संख्या
सुधारण
वाही की
गई

दिनांक : 05.02.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1, 3 व 4 द्वारा जवाब पेश कर पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ती नहीं जताई। विपक्षी संख्या 2 के अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुरखा सीमांकन नहीं होने से आये दिन होने वाले विवाद से बचने के लिये प्रार्थी सीमांकन कराना चाहता है। विपक्षी संख्या 1, 3 व 4 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ती नहीं जताई हैं। अतः विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बेजराडा, पटवार हल्का सारंगपुरा भीण्डर तहसील कानोड जिला उदयपुर की जमाबंदी संवत् 2078-81 की खाता संख्या नया 123 आराजी नम्बर 163, 163, 51, 55, 56 किता 4 रकबा 3.4800 हैक्टर भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमांकन कराया जावे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को एक दिन का वेतन प्रार्थी द्वारा अदा किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

